संख्या-63/2024/2725/77-6-24-6099(099)/2/2022

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक** 13.11.2024

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) के कार्यान्वय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष 65,98,84,502.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.आई.पी-2012/मेगा/916, दिनांक 04.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012(मेगा परियोजना) में प्राविधानित धनराशि रू0 1,300.00 करोड़ के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों को देय धनराशि का अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि अंतरित किये जाने हेतु रू. 65,98,84,502.00 (रू. पैंसठ करोड़ अठ्ठानवे लाख चौरासी हजार पॉच सौ दो मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रं0 सं0	**कम्पनी**	**अवधि**	**शासनादेश दिनांक 26.3.2021 के अनुपालन में रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि**	**नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1 प्रतिशत)**	**इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (4-5)**
1-	मेसर्स वरूण बेवरेजेस लि0	1-4-2021 से 31-3-2022	2,94,14,878	2,94,149	2,91,20,729
		1-4-2022 से 31-3-2023	6,72,98,865	6,72,989	6,66,25,876

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			9,67,13,743	**9,67,138**	**9,57,46,605**
2-	मेसर्स श्री सीमेन्ट लि0	1-4-2021 से 31-3-2022	5,90,52,144	5,90,521	5,84,61,623
		1-4-2022 से 30-6-2022	2,06,70,923	2,06,709	2,04,64,214
			7,97,23,067	**7,97,230**	**7,89,25,837**
3-	मेसर्स आर0सी0सी0पी0एल0 प्रा0 लि0	1-4-2020 से 31-3-2021	11,02,53,578	11,02,536	10,91,51,042
		1-4-2021 से 30-9-2021	6,43,82,111	6,43,821	6,37,38,290
			17,46,35,689	**17,46,357**	**17,28,89,332**
4-	मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0	1-4-2019 से 31-3-2020	11,33,807	11,338	11,22,469
			11,33,807	**11,338**	**11,22,469**
5-	मेसर्स स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0	1-7-2017 से 31-3-2018	2,60,524	2,605	2,57,919
		1-4-2018 से 31-3-2019	19,47,857	19,479	19,28,378
		1-4-2019 से 31-3-2020	24,19,312	24,193	23,95,119
			46,27,693	**46,277**	**45,81,416**
6-	मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0	1-4-2020 से 31-3-2021	12,98,51,972	12,98,520	12,85,53,452
		1-4-2022 से 31-3-2023	16,48,55,775	16,48,558	16,32,07,217
			29,47,07,747	**29,47,078**	**29,17,60,669**
7-	मेसर्स एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0 लि0	1-4-2020 से 31-3-2021	83,42,756	83,428	82,59,328
			83,42,756	**83,428**	**82,59,328**
	कुल		**65,98,84,502**	**65,98,846**	**65,32,85,656**

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्ष 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 1,300.00 करोड़ (रूपये एक हजार तीन सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू. 65,98,84,502.00 (रू. पैंसठ करोड़ अठ्ठानवे लाख चौरासी हजार पॉच सौ दो मात्र) की धनराशि आपके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गई धनराशि उक्त लाभार्थी कम्पनी के बैंक खातों में तथा उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के खाते में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा,जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं 07.08.2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
10. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व पिकप द्वारा इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
11. पिकप द्वारा यह अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य प्रोत्साहन की धनराशि एक से अनधिक बार भुगतान की गई है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 65,98,84,502.00 (रूपये पैंसठ करोड़ अठ्ठानवे लाख चौरासी हजार पॉच सौ दो मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608001900 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-63/2024/2725(1)/77-6-24-6099(099)/2/2022तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
5. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबंध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या-पिकप/आई.आई.आई.पी-2012/मेगा/916, दिनांक 04.11.2024 के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।